

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयाँकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली, उत्तराखण्ड।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 06 फरवरी, 2016

विषय- प्रदेश के कोषागारों में जमा धनराशि (डी.सी.एल.) को पुनर्वैध (Re-validate) किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-xxvii(14)/2012 दिनांक 10 फरवरी, 2012 तथा आपके पत्र संख्या-8375/45 बजट (डिपोजिट)/2014-15 दिनांक 05.02.2015 एवं अधीक्षण अभियन्ता, 11वां वि०/या० वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के पत्र दिनांक 15.04.2015, 30 जुलाई, 2015 व 11 दिसम्बर, 2015 एवं अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई वि०/या० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर पत्र दिनांक 29.04.2015 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्न विवरणानुसार 10 कार्यों हेतु कुल ₹55,95,873.00 (₹ पच्चपन लाख पिचान्बे हजार आठ सौ तिहत्तर मात्र) का भुगतान जो वर्तमान में डी०सी०एल०में जमा है, को पुनर्वैध (Re-validate) किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त कार्यों हेतु पुनर्वैध की जा रही धनराशि का आहरण दो किशतों में करते हुए नियमानुसार क्रमशः कोषागार चमोली को हस्तान्तरित करते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी एवं कार्य की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति का विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) प्रदेश के कोषागारों में डी०सी०एल० में जमा धनराशि, के पुनर्वैध के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-172/XXXVII(2)/2015 दिनांक 28 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,



(अरविन्द सिंह हयाँकी)
प्रभारी सचिव।

संख्या:-742/111(2)/16-02(बजट)/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखकार (लेखा व हक0) ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, नैनीताल।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
5. एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साईबर ट्रैजरी) 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, 11वां वि0/यां0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पागती)

उप सचिव

